रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1992/अग्रहायण 24, 1914
No. 506] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1992/AGRAHAYANA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

सा. का. नि. 925 (अ):—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख

17 जून, 1992 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 596 (अ), तारीख 17 जून, 1992 को इसके द्वारा तत्कालिक प्रभाव से विखण्डित करती है।

[सं. पी. 15014/13/90-पी एच (एफ एण्ड एन) डी एम एस एंड पी एफ ए]

भूपेन्द्र सिंह लाम्बा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1992

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Preveniton of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), GSR No. 596(E), dated the 17th June, 1992, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 17th June, 1992, within immediate effect.

[No. P. 15014|13|90-PH(F&N)DMS&PFA]

B. S. LAMBA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992